Services Housing Co-operative Society Limited
Ashok Nagar,Ranchi-834002
E_Mail – support@ashoknagarranchi.com

आज दिनांक 09.11.2025 को निदेशक मण्डल की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1–	डॉ0 माधव –	अध्यक्ष –	उपस्थित
2–	श्री के0 पी0 पाण्डेय	उपाध्यक्ष–	उपस्थित
3–	श्री अनिल शंकर	अ0 सचिव	अनुपस्थित
4–	श्री शंकर प्रसाद वर्मा	सं0 सचिव	अनुपस्थित
5–	श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य	निदेशक	उपस्थित
6–	श्री प्रताप सिंह –	निदेशक	उपस्थित
7–	डॉ0 श्रीमति रीता लाल–	निदेशक	अनुपस्थित
8–	श्रीमति शोभा कुमारी –	निदेशक	अनुपस्थित
9–	श्रीमति कृष्णा श्रीवास्तव	निदेशक	अनुपस्थित
10–	डॉ0 श्रीमति जुबी जेन केशरी	निदेशक	उपस्थित
11–	श्रीमति गुंजन सिंह –	निदेशक	अनुपस्थित
12–	श्रीमति सरोज बाला	निदेशक	अनुपस्थित

<u>कार्यावली सख्या–1–</u> वित्तीय वर्ष 2025–26 का वार्षिक बजट तथा 2026–27 के प्रथम चार माह के बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई ।

<u>कार्यावली संख्या–2</u>– सोसाईटी के साधारण वार्षिक आम सभा दिनांक 07.12.2025 को पूर्वाहन 11.30 बजे से सोसाईटी के सभागार में बुलाने का निर्णय लिया गया ।

<u>कार्यावली संख्या–3–</u> वित्तीय वर्ष 2025'26 का वार्षिक बजट पारित होने में विलम्ब होने के कारण सोसाईटी के कर्मियों तथा दैनिक मजदूरों के वेतन एवं मानदेय लम्बित है । नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद चार माह तक ही भुगतान किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में निदेशक श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य ने आवेदन के माध्यम से विशेष परिस्थिति में माह अक्टूबर, 25 एवं नवम्बर 25 के वेतन एवं मानदेय भुगतान हेतु अनुरोध किया है । विचारोपरान्त विशेष परिस्थिति में माह अक्टूबर,25 एवं नवम्बर, 25 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

<u>कार्यावली संख्या–4–</u> श्रीमति निरूपमा शरण, सदस्या 487/सी द्वारा अपना भूखण्ड एवं शेयर श्री कृष्ण कुमार सिंह, सेवा निवृत्त कर्मी, राजकीय पालिटेकनिक, राँची के पक्ष

में प्रत्यार्पण तथा श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन प्राप्त हुआ है । कार्यालय द्वारा जाँचोपरान्त चेक लिस्ट संलग्न की गई है, जिसकी प्रति निदेशक मण्डल के सभी उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है । निदेशक मण्डल के समक्ष श्रीमति निरूपमा शरण उपस्थित हुईं । सोसाईटी के बाय लॉज की उपविधि **14(e)** के आलोक में सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या–5– प्लॉट संख्या 236/बी के हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । नये सदस्य श्री मुरली प्रसाद चौधरी द्वारा सोसाईटी का सदस्यता हस्तान्तरण शुल्क की राशि जमा करा दी गयी है । उनके द्वारा समर्पित कागजा
तों की जाँच कर चेक लिस्ट कार्यालय द्वारा सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया । अतः उन्हे अन्तिम रूप से सदस्यता प्रदान करते हुए **NOC** निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–6– सोसाईटी के पार्क–ए स्थित बोरिंग के अन्दर गिरे हुए सबमर्सिबुल पम्प को बाहर निकालने तथा जलापूर्ति को बहाल करने हेतु रू0 27,000/–(सत्ताईस हजार रूपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या–7– महिला क्लब एवं **AIWC** के बीच चल रहे विवादों पर बैठक में विमर्श किया गया । भवन अशोक नगर महिला क्लब को सोसाईटी द्वारा आवंटित है, किन्तु इस भवन में **AIWC** द्वारा भी समय समय पर बैठक किया जाता रहा है , इसी बीच उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु सदस्यों से प्राप्त सुझाव के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि अशोक नगर महिला क्लब को आवंटित भवन का स्वामित्व सोसाईटी का ही है । निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस भवन में **AIWC** भी बैठक कर सकती है । परन्तु सामान्य बैठक हेतु 200/–(दो सौ)रूपये प्रति बैठक तथा विशेष आयोजन हेतु 2000/–(दो हजार रूपये) प्रति आयोजन की दर से सोसाईटी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त अनुमति प्रदान किया जायगा । साथ ही उक्त प्रसंग

में अशोक नगर महिला क्लब एवं **AIWC** आपस में विमर्श कर तिथि का निर्धारण करेंगे ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो । तत्सम्बन्धी सूचना दोनो पक्षों को देने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–8– पूर्व के बोर्ड की बैठक में तीन **Submersible Pump-7.5H.P. 2 Nos. and 5.00 H.P. 1 No.** क्रय का निर्णय लिया गया परन्तु क्रय नही किया गया है, **4 HYTW** का अधिष्ठापन हो गया है । पम्प नही आने के कारण बोरिंग के असफल होने का खतरा है एवं जलापूर्ति की वैकल्पि व्यवस्था हेतु आवश्यक है । अतः इसे अतिशीघ्र क्रय का अधिष्ठापित कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख–9– सोसाईटी परिसर में विभिन्न स्थानों पर काफी संख्या में स्ट्रीट लाईट खराब हो गये हैं अथवा बल्ब फ्यूज हो गये हैं । अतः तत्काल 25 अदद स्ट्रीट लाईट क्रय करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–10– पूर्व की बैठक में 100 अदद सोलर लाईट अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया था । उक्त निर्णय के आलोक में दर आमंत्रण कर दर प्राप्त की गई थी, तदनुसार न्यूनतम दरदाता से आपूर्ति का निर्णय भी लिया गया था, किन्तु आपूर्ति नही ली जा सकी थी । सोसाईटी में इसकी आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरदाता से 100 अदद आपूर्ति लेने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–11– सोसाईटी में सम्पादित कराये गये विभिन्न कार्यों के संवेदकों का भुगतान अभीतक लम्बित है । अतः उनके शीघ्र भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । जबतक निबंधक न्यायालय में बाद संख्या 11/25 लम्बित है, अवैतनिक सचिव द्वारा चेक पर हस्ताक्षर हेतु रोक है । संवेदक द्वारा काफी दबाव दिया जा रहा है । कार्य पूर्ण हो गया है । भुगतान नही हो पाया है । कुछ अतिरिक्त कार्य आवश्यकतानुसार सम्पादित कराये गये है । उसका पूरक एकरारनामा कर कार्य सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया जो संलग्न है :–

लम्बित वाद की स्थिति में बोर्ड द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्णय लिया जाय ।

इस प्रसंग में उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया है, कि यदि निदेशक मण्डल द्वारा भुगतान का निर्णय लिया गया है, तो अवैतनिक सचिव भुगतान हेतु चेक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । इस पर निदेशक मण्डल के सभी सदस्य सहमत हैं । यदि अवैतनिक सचिव चेक पर भुगतान हेतु हस्ताक्षर नही करते हैं, तो इस पर निबंधक सहयोग समितियाँ से मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया जाय ।

कार्यावली संख्या–12– सोसाईटी के प्रीपेड मीटर का भुगतान नही होने के कारण सोसाईटी कार्यालय का विद्युत आपूर्ति बन्द हो गया था । विशेष परिस्थिति में निदेशक श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य ने निजी रूप से रू0 9,000/–(नौ हजार) रूपये जमा कराकर आपूर्ति चालू कराया था । उक्त राशि श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य को वापस करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या–13– सोसाईटी के विज्ञापन प्रकाशन का दैनिक प्रभात खबर एवं दैनिक भाष्कर काफी दिनों से लम्बित विपत्रों का भुगतान नही हो पाया है । यह भुगतान रूटीन कार्य के अन्तर्गत आता है । अतः इसका भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

अन्यान्यः– (क) पार्क सी स्थित **Open Gym** का **AMC** तथा तत्काल मरम्मति हेतु कोटेशन सोसाईटी अभियंता द्वारा प्राप्त करने एवं तुरंत कार्य कराने का निर्णय लिया गया ।

(ख) श्री प्रताप सिंह, निदेशक को आवंटित विधिक कार्य के लिए प्रति माह राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसका माह अप्रैल से अक्टूबर–25 का विपत्र समर्पित है । परन्तु भुगतान नही हो सका है । सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर हुए व्यय की राशि 21,160/–(इक्कीस हजार एक सौ साठ रूपये) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

ह0/–
(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि– निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :– 77 दिनांक :– 15/11/2025

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची / निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

09/11/25

(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष